



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

29 अप्रैल 2026

### आपदा-प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने [27 जनवरी 2026](#) को हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायों संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया।

2. निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप, यथोचित संशोधनों को अंतिम निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया पर एक विवरण [अनुलग्नक](#) में दिया गया है।

3. तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज अंतिम निदेश और दो निरसन निदेश जारी किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

- i. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026
- ii. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) संशोधन निदेश, 2026
- iii. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण) निदेश, संशोधन निदेश, 2026
- iv. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) तृतीय संशोधन निदेश, 2026
- v. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) संशोधन निदेश, 2026
- vi. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) संशोधन निदेश, 2026
- vii. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण) निदेश, संशोधन निदेश, 2026
- viii. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026
- ix. भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) संशोधन निदेश, 2026
- x. भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) संशोधन निदेश, 2026
- xi. भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - दायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण) निदेश, संशोधन निदेश, 2026
- xii. भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026
- xiii. भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026
- xiv. भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) संशोधन निदेश, 2026
- xv. भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण) निदेश, संशोधन निदेश, 2026
- xvi. भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026

- xvii. भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) संशोधन निदेश, 2026
- xviii. भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) संशोधन निदेश, 2026
- xix. भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - दायित्वपूर्ण व्यवसाय आचरण) निदेश, संशोधन निदेश, 2026
- xx. भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026
- xxi. भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) संशोधन निदेश, 2026
- xxii. भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक-आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026
- xxiii. भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक- दायित्वपूर्ण व्यवसाय आचरण) निदेश, संशोधन निदेश, 2026
- xxiv. भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक-ऋण जोखिम प्रबंधन) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026
- xxv. भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) संशोधन निदेश, 2026
- xxvi. भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026
- xxvii. भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) - दायित्वपूर्ण व्यवसाय आचरण) निदेश, संशोधन निदेश, 2026
- xxviii. भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ-ऋण जोखिम प्रबंधन) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026
- xxix. भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान) - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) संशोधन निदेश, 2026
- xxx. भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान) - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) संशोधन निदेश, 2026
- xxxi. भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान) - दायित्वपूर्ण व्यवसाय आचरण) निदेश, संशोधन निदेश, 2026
- xxxii. भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - ऋण जोखिम प्रबंधन) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026
- xxxiii. भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 - एससीबी निरसन निदेश 2026
- xxxiv. भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 - आरआरबी निरसन निदेश 2026

4. ये दिशानिर्देश 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे।